Sessions Trial No.- 250/2017
CIS NO. NO. 250/2017

31.08.2022 अभियुक्त मो. आलम अनुपस्थित है।

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभिलेख अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में मात्र एक अभियुक्त मो. आलम है। अभियुक्त को सदेह उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था, इसके बावजूद भी अभियुक्त नियत तिथि 11.04.2019 को अनुपस्थित रहा, इस कारण से उक्त तिथि को अभियुक्त का बंधपत्र खंडित किया गया। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा अजमानतीय अधिपत्र दिनांक 27.06.2019 को तथा दिनांक 08.04.2022 को धारा 82, 83 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अधिपत्र निर्गत किया जा चुका है। परन्तु उक्त अभियुक्त द्वारा आज तक न्यायालय में आत्मसमर्पण नही किया गया है और ना ही पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अभियुक्त की उपस्थिति निकट भविष्य में संभव नही है। वाद पुराना है। अतः उक्त अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक धारा 299 द0प्र0सं0 के अंतर्गत साक्ष्य नही देना चाहते है। कार्यालय उक्त फरार घोषित अभियुक्त मो. आलम का नाम फरार पंजी में दर्ज कर उनके विरूद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा अभिलेख को विधिवत् अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

Sd/-

विशेष न्यायाधीश